किशनलाल बनाम सांवरमल मु.नं. 78/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.9.24	पत्रावली पेश। अपील उपरान्त प्रकरण बास्ते बहस दिनांक 20.9.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
20.9.24	पत्रावली पेश। अपील उपरान्त प्रकरण बास्ते बहस दिनांक 1.10.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
1.10.24	पत्रावली पेश। अपील उपरान्त प्रकरण बास्ते बहस दिनांक 15.10.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
15.10.24	पत्रावली पेश। अपील उपरान्त प्रकरण बास्ते बहस दिनांक 23.10.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.10.24	पत्रावली पेश। अपील उपरान्त प्रकरण बास्ते बहस दिनांक 19.11.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
19.11.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.11.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
27.11.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय रारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाब तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 78/2022

1 किशनलाल पुत्र लालू जाति खटीक
2 नाथूराम पुत्र लालू जाति खटीक
3 रामदेव पुत्र लालू जाति खटीक
निवासीगण ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 झाबरमल
2 भगवाना
3 मंगलचन्द पुत्रगण गंगाबक्स जाति जाट निवासीगण ग्राम चन्देली का बास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
4 भगवानसहाय पुत्र लालू जाति खटीक निवासी ग्राम दांता तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
5 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 19.07.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ ज़िला सीकर बाबत मुकदमा बउनवानी झाबरमल आदि बनाम किशनलाल आदि, प्रार्थना पत्र संख्या 71/2019 अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार मीणा आरएएस अन्तर्गत धारा 225 रा.टि.एक्ट1955

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भंवरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 27.11.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 71/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 लगायत 3 ने एक प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 119 वाके ग्राम चन्देली का बास का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपना निर्णय केवल मुख्यतः पटवारी/गिरदावर हल्का की प्रस्तुत कथित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांकित 22.09.2020 के आधार पर पारित किया गया है जबकि तथ्यात्मक रिपोर्ट कानूनी दृष्टि से पढी जाने योग्य नहीं है क्योंकि न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट बाबत आदेश दिनांक 26.08.2019 को जारी किया गया जबकि अपीलान्टस को नोटिस उसके बाद जारी किये गये अर्थात उक्त कथित रिपोर्ट एकतरफा कार्यवाही के तहत मंगवायी गयी। इस कारण रिपोर्ट विधि विरूद्ध होकर मान्य किये जाने योग्य नहीं है। उक्त तथ्यात्मक/मौका रिपोर्ट का मौका देखने से पूर्व तहसीलदार दांतारामगढ़ अथवा गिरदावर–पटवारी हल्का द्वारा भी कोई नोटिस/सूचना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

अप्रार्थीगण को नहीं दी गयी। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्टस द्वारा उक्त कथित साजशी तथ्यात्मक रिपोर्ट पर आपत्ति भी पेश की गयी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा कानूनी स्थिति को दरकिनार कर मनमाने तौर पर उक्त आपत्ति खारिज कर निर्णय पारित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा तहसीलदार दांतारामगढ़ को दिनांक 21.09.2019 को दिशा–निर्देश जारी किए गए कि प्रार्थीगण वर्तमान में कौनसा रास्ता आवागमन हेतु काम में ले रहे है जिस बाबत मौका रिपोर्ट में अंकन है कि प्रार्थीगण सह खातेदारान की सहमति से पूर्व की दिशा में सीमाओं के सहारे सहारे आ रहे है। उक्त स्पष्ट अंकन के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा उस वैकल्पिक रास्ते को स्थायी करने बाबत कोई अंकन अपने आदेश में नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वस्तुतः प्रकरण में तहसीलदार दांतारामगढ़ द्वारा पेश मौका–रिपोर्ट की आपत्ति बाबत बहस सुनी गयी थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उक्त आपत्ति के निर्णय के साथ ही मूल प्रार्थना पत्र का भी निर्णय कर दिया गया जो पूर्णतया कानूनी प्रावधानों के विपरीत है इसलिए निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार आईएलआर की रिपोर्ट प्राप्त की। आईएलआर की रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होना प्रकट है। रिपोर्ट में स्पष्ट जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट के पास आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होने पर धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार आईएलआर की रिपोर्ट प्राप्त की। आईएलआर की रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता होना प्रकट है। रिपोर्ट में स्पष्ट जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट के पास आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से रेस्पोडेन्ट का आवेदन स्वीकार किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नही पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर